

बिन्दु क्रमांक 21

कलेक्टर/उपायुक्त द्वारा उपयुक्त वैकल्पिक गैर वनक्षेत्र
अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र

संलग्न है।

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) मुंगेली (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक / 4295 / भू-अभि. / स.अ.भू.अ. / 2019

मुंगेली, दिनांक 15.05.2019

उप-संचालक,
अचानकमार टाईगर रिजर्व,
लोरमी छ.ग.

विषय:-

अचानकमार टाईगर रिजर्व, अंतर्गत कोर क्षेत्र के ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।

संदर्भ:-

कार्या. उप-संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी जिला मुंगेली का पत्र क. व.प्रा. / स्टेनो / 1504 लोरमी दिनांक 06.05.2019

—00—

संदर्भित पत्रानुसार विषयांकित अचानकमार टाईगर रिजर्व, अंतर्गत कोर क्षेत्र ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत आपका पत्र प्राप्त हुआ है। व्यवस्थापन के द्वितीय चरण में कमशः तीन ग्राम तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन लोरमी परिक्षेत्र के कक्ष क्र. 96, 557, 558 आर.एफ. रकबा 255.300 हे. में किया जाना प्रस्तावित है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोरमी का पत्र क. 769 लोरमी दिनांक 10.05.2019 के अनुसार हसील लोरमी में व्यवस्थापन हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होना सूचित किया गया है। कलेक्टर महोदय का पत्र पृथक से संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार एक।


डिप्टी कलेक्टर,
हेतु कलेक्टर मुंगेली (छ.ग.)

राजस्व भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अचानकमार टाईगर रिजर्व, लोरमी जिला मुंगेली अंतर्गत कोर क्षेत्र में स्थित ग्रामों, तिलाईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा का व्यवस्थापन हेतु तहसील लोरमी, जिला मुंगेली के अन्तर्गत राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।

15-05-19
कलेक्टर,
जिला मुंगेली (छ.ग.)